भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या् 2337

दिनांक 03.12.2019/12अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तार के लिए

सी.आई.एस.एफ. द्वारा अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान किया जाना

†2337. श्री धनुष एम. कुमारः
श्री सुब्रत पाठकः
श्री रेबती त्रिपुराः
श्री विजय कुमार दुबेः
श्री जी. सेल्वमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) से तैनात किए गए पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सी.आई.एस.एफ. की सुरक्षा के अंतर्गत रखने से पहले कोई मापदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार सी.आई.एस.एफ. द्वारा जिन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनकी संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों के कल्याणार्थ कितनी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है और उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित की गई निधियों की धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार देश में महिला सी.आई.एस.एफ. की इकाई स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और ऐसी इकाइयों की स्थापना करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) क्या सी.आई.एस.एफ. आतंकवादी हमलों के विरुद्ध प्रचंड युद्ध और रणनीतिक लाभ को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष रणनीतिक स्कंध (एस.टी.डब्ल्यू.) स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तदर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों में 142561 सीआईएसएफ कार्मिक (133922 पुरुष और 8639 महिलाएं) तैनात हैं।

(ख): सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय , खतरे की संभावना और तैनाती की लागत वहन करने के लिए संबंधित संगठन की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, सीआईएसएफ 346 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

(ग): सीआईएसएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए, ऐसे सीआईएसएफ कार्मिकों के निकट संबंधी (एनओके) को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान करने की सरकार की एक योजना है जो सरकारी ड्यूटी का निष्पादन करते हुए शहीद हो जाते हैं। चालू वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 3 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। सरकार की विशेष कल्याण अनुदान संबंधी एक योजना भी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एचआईवी/एड्स के निवारण, तनाव संबंधी पाठ्यक्रमों व्यावसायिक/पेशेवर पाठ्यक्रमों आदि के लिए निधियां जारी की जाती हैं। प्रधानमंत्री की छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत पात्र सीआईएसएफ कार्मिक के आश्रित बच्चों को लड़कियों के मामले में 3000/- रु. प्रतिमाह और लड़कों के मामले में 2500/- रु. प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

(घ) और (ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****